28/03/2024 आज श्रीमान ए सी.एम. / एस.डी.एम साहब ~~दौरे/अवकाश~~ पर हैं। पेशी इल्तवा की जाकर पत्रावली तारीख 03/05/24 को पेश हो।

03/05/2024 आज श्रीमान ए सी.एम. / एस.डी.एम साहब ~~दौरे/अवकाश~~ पर हैं। पेशी इल्तवा की जाकर पत्रावली तारीख 01/07/24 को पेश हो।

01/07/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/9/24 को पेश हो।

18/09/2024 आज श्री[illegible] एम साहब [illegible] पेशी [illegible] पत्रावली तारीख 21/10/24 [illegible]

21/10/24 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थीगण बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः प्रार्थीगण के बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राज० काश्त अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 04.09.2023 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 [illegible] लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर बाप जिला फलौदी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:37 IST
Reason: SelfAttested